

क्रमांक:- आर.एन.सी./2024/जीबी/7187-92

दिनांक:- 22-11-2024

कार्यालय आदेश

राजस्थान नर्सिंग कौंसिल की जीबी की बैठक दिनांक 21.10.2024 के एजेन्डा संख्या 2 के अन्तर्गत अन्य राज्यों से आरएनसी में पंजीकरण के संबंध में निम्न निर्णय लिए गये हैं:-

- वर्तमान में सत्यापन की प्रक्रिया अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदित दस्तावेजों के आधार पर पंजीयन किया जा रहा है। अन्य राज्य से उत्तीर्ण नर्सिंग अभ्यर्थियों को आर.एन.सी. कार्यालय में सत्यापन करवाने होंगे तदुपरान्त ही पंजीयन की प्रक्रिया शुरू की जायेगी।
 - अन्य राज्य नर्सिंग अभ्यर्थियों की पंजीयन शुल्क रसीद वैधता जारी दिनांक से 180 दिन ही रहेगी।
 - अन्य राज्य के उत्तीर्ण नर्सिंग अभ्यर्थियों के प्रकरण में कौंसिल स्तर से संबंधित कॉलेज से सत्यापन कराये जाने के उपरान्त पंजीकरण की कार्यवाही की जायेगी।
 - उक्त कार्यवाही के उपरान्त ही अन्य राज्यों से आरएनसी में पंजीकरण किया जायेगा।
- उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित पर तुरन्त प्रभाव से लागू किये जाते हैं।

(भारती)

रजिस्ट्रार

राजस्थान नर्सिंग कौंसिल
जयपुर

क्रमांक:- आर.एन.सी./2024/जीबी/7187-92

दिनांक:- 22-11-2024

प्रतिलिपी :-

- निजी सचिव, संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, (ग्रुप-3), जयपुर।
- निजी सचिव, श्रीमान निदेशक (अराजपत्रित), निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जयपुर।
- श्रीमान निदेशक महोदय (जन. स्वा.) एवं पदेन अध्यक्ष, राजस्थान नर्सिंग कौंसिल, जयपुर।
- आई.टी. सलाहकार को निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेश को पोर्टल पर अपलोड करे।
- कार्यालय प्रति।

रजिस्ट्रार

राजस्थान नर्सिंग कौंसिल
जयपुर